न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2018

पीठासीन अधिकारीः–राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 11/18 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. राजी देवी पत्नि सुवालाल बलाई निवासी कारोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीया

बनाम

1. सुवालाल पिता रायमल बलाई निवासी कारोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2. अमरा पिता नारू बलाई निवासी कारोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3. उदा पिता नंगजीराम बलाई निवासी कारोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4. रणु पिता जगु बलाई निवासी कारोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5. शिवलाल पिता जगु बलाई निवासी कारोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6. जोधा पिता जगु बलाई निवासी कारोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7. मु0 अणछी बेवा जगु बलाई निवासी कारोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8. आसु पिता पेमा बलाई निवासी कारोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
9. भैरूलाल पिता केलाराम ढोली निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. M D   अधिवक्ता प्रार्थीया

निर्णय

दिनांक 25.05.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प बागड़ मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है ग्राम कारोल पटवार हल्का बागड़ तहसील रायपुर की बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीया के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की खाता संख्या 71 में आराजी संख्या 143 रकबा 0.14 है0, 144 रकबा 0.15 है0, 145 रकबा 0.08 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.37 है0 भुमि स्थित है। प्रमाण में जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 तक मय नक्शा ट्रेस प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत है। उक्त आराजियात की सीमाओं को लेकर आये दिन विवाद होता है तथा अन्य चारों दिशाओं में विपक्षीगण संख्या एक लगायत नौ के आधिपत्य की आराजियात स्थित है, प्रार्थीया विपक्षीगण से विवाद नहीं चाहती है जिससे प्रार्थीया को उक्त भूमि की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। विपक्षी संख्या एक लगायत नौ प्रार्थीया की आराजियात के पडौसी से विवाद हो रहा है जिससे प्रार्थीया को अपनी सीमा की जानकारी कराना आवश्यक हो गया है। विपक्षी संख्या एक लगायत आठ प्रार्थीया की उक्त आराजियात के पडौसी होने से एवं विपक्षी नौ खातेदार केलाराम के वारिस होने से पक्षकार विपक्षीगण बनाये गये हैं। प्रार्थीया ने विपक्षी संख्या एक लगायत नौ को कई मर्तबा उक्त आरजियात की पत्थरगढी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षी संख्या एक लगायत नौ हर बार टालम टोल करते रहें हैं, प्रार्थीया ने विपक्षी संख्या एक लगायत नौ को अन्तिम बार पत्थरगढी कराने बाबत् दिनांक 03.01.2018

को कहा लेकिन विपक्षीगण पत्थरगढी कराने से इन्कार हो गये जिससे प्रार्थीया को उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ रहा है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 21.02.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षीगण बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की गई। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम कारोल पटवार हल्का बागड़ तहसील रायपुर की बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीया के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की खाता संख्या 71 में आराजी संख्या 143 रकबा 0.14 है0, 144 रकबा 0.15 है0, 145 रकबा 0.08 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.37 है0 भुमि स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे कास्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 100/– अक्षरे सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 200/– अक्षरे दो सौ रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

राजलक्ष्मी गहलोत
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 25.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजलक्ष्मी गहलोत
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा